इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 222] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2026—श्रावण—1, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2026

क्र. 7036—124—इक्कीस—अ (प्रा.) .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

NO. 8 OF 2026

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPNA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN VIDHEYAK, 2026

TABLE OF CONTENTS.

Clauses :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 7.
4. Substitution of Section 11.
5. Amendment of Section 36.
6. Amendment of Section 40.
7. Amendment of Section 41.
8. Amendment of Section 42.

MADHYA PRADESH BILL

NO. 8 OF 2026

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPNA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN VIDHEYAK, 2026

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-seventh year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2026.

(2) It shall come into the force from the date of its publication in the official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) (hereinafter referred to as the principal Act),-

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

"(aa) "annual fee" means the annual fee paid by the private university to the Regulatory Commission;".

(ii) clause (h) shall bc omitted.

Amendment of Section 7.

3. In Section 7 of the principal Act, in sub-section (1),-

(i) sub-clause (b) of clause (i) shall be omitted.

(ii) for clause (ii) and (iii), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(ii) subject to prescribed norms, if any, of the concerned Regulatory Council or Councils or the University Grants Commission, it shall procure an adequate piece of contiguous land for the main campus to be established and submit its papers of ownership;

(iii) subject to the prescribed norms, if any, of the concerned Regulatory Council or Councils or the University Grants. Commission, it shall make available built-up area in the form of buildings and ancillary structure, adequate for administrative purposes and for conducting the academic programmes;".

Substitution of Section 11.

4. For section 11 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

Annual fee.

"11. Every private university shall pay to the Regulatory Commission, such annual fee, as may be prescribed, with effect from 1st April, 2027 or from the date of its incorporation, whichever is later. The annual fee shall be paid in such manner and within such time, as may be prescribed.".

Amendment of Section 36.

5. In Section 36 of the principal Act, in clause (f) of the sub-section 10, the words "endowment fund and/or" shall be deleted.

Amendment of Section 40.

6. In Section 40 of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) The Regulatory Commission, on receipt of such information, shall have the right to issue such directions to the sponsoring body for the fulfillment of its obligations under sub-section (1), as it may deem necessary and if the sponsoring body contravenes the provisions of sub-section (1), the Regulatory Commission shall make arrangements for completion of courses, conduct of examinations, award of degrees, etc., of students of the private university, either by undertaking the job itself or by assigning the job to some other university, in such manner that the interest of the students are not affected adversely in any manner and expenditure made for these arrangement for the students shall be made good from the money deposited in the general fund of the private university.".

Amendment of Section 41.

7. In the Section 41 of the principal Act, in sub-section (10), the words "endowment fund or" shall be deleted.

Amendment of Section 42.

8. In the Section 42 of the principal Act, for clause (c) of sub-section (2), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) the annual fee under Section 11, its fixation, payment and use;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under the Mdahya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Evam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), starting a private university requires at least 10 hectares of land, 2,500 square meters of built-up area and an endowment fund of Rs. 5 crore. Land availability is limited and its cost is prohibitive. Norms for infrastructure hinder small investors wishing to start new institutions. Similarly, the large amount of endowment fund remains unused. Such provision often hinder edupreneurs, who cannot arrange a large amount of funding before the university even begins, even it they have a strong and robust financial plan for establishing the university. This often hinders the entry of high-quality institutions into the higher education sector and limits competition.

2. Therefore, in order to simplify the criteria required for starting a private university and attract private investment, standards like minimum requirements of land and built-up area and setting up of endowment fund should be eliminated. For this, it is proposed to amend the said Act suitably.

3. Hence this Bill.

Bhopal :

Dated the 19th JULY, 2026

INDER SINGH PARMAR

MEMBER-IN-CHARGE.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204] भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जुलाई 2026–आषाढ़ 29, शक 1948

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2026

क्र. 12585–मप्रविस–16–विधान–2026.– मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम–64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई 2026 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०२६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०२६

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन

३. धारा ७ का संशोधन

४. धारा ११ का स्थापन.

५. धारा ३६ का संशोधन.

६. धारा ४० का संशोधन.

७. धारा ४१ का संशोधन.

८. धारा ४२ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०२६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०२६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२६ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,-

(एक) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(क क) "वार्षिक फीस" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय द्वारा विनियामक आयोग को संदत्त की गई वार्षिक फीस;".

(दो) खण्ड (ज) का लोप किया जाए.

धारा ७ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (१) में,-

(एक) खण्ड (एक) के उपखण्ड (ख) का लोप किया जाए;

(दो) खण्ड (दो) तथा (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

"(दो) वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संबंधित विनियामक परिषद् या परिषदों के मानकों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, स्थापित किए जाने वाले मुख्य परिसर के लिए सन्निहित भूमि का पर्याप्त भाग प्राप्त करेगा और उसके स्वामित्व संबंधी कागज प्रस्तुत करेगा;

(तीन) वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संबंधित विनियामक परिषद् या परिषदों के मानकों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, प्रशासकीय प्रयोजन तथा शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने के लिए भवन तथा अनुषंगी संरचना के रूप में पर्याप्त निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराएगा;".

धारा ११ का स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्

वार्षिक फीस

"(११) प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय, १ अप्रैल, २०२७ से प्रभावी होने अथवा अपने निगमन की तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, विनियामक आयोग को, ऐसी वार्षिक फीस का भुगतान करेगा, जैसा कि विहित किया जाए. वार्षिक फीस का भुगतान ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए;".

धारा ३६ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ३६ में, उपधारा (१०) के खण्ड (च) में, शब्द "विन्यास निधि और/या" का लोप किया जाए.

धारा ४० का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ४० में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"(२) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर विनियामक आयोग को, यह अधिकार होगा कि वह प्रायोजी निकाय को उपधारा (१) के अधीन दायित्वों को पूरा करने के लिए ऐसे निदेश दे, जो वह आवश्यक समझे और यदि प्रायोजी निकाय उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो विनियामक आयोग निजी विश्वविद्यालयों के छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संचालन, उपाधि देने आदि के संबंध में या तो स्वयं कार्य करने या यह कार्य किसी अन्य विश्वविद्यालय को सौंपने संबंधी व्यवस्था, इस रीति में करेगा कि छात्रों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों और छात्रों को दी गई इन व्यवस्थाओं पर जो व्यय होगा, उसे निजी विश्वविद्यालय की सामान्य निधि में जमा राशि से पूरा किया जाएगा.".

धारा ४१ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ४१ में, उपधारा (१०) में, शब्द "विन्यास निधि और" का लोप किया जाए.

धारा ४२ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ४२ में, उपधारा (२) के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ग) धारा ११ के अधीन वार्षिक फीस, इसका निर्धारण, भुगतान तथा उपयोग;".

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) के अधीन, निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने हेतु, कम से कम १० हेक्टेयर भूमि, २५०० वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र और ५ करोड़ रूपये की विन्यास निधि अपेक्षित है. भूमि की उपलब्धता सीमित है और इसकी कीमत बहुत अधिक है. अधोसंरचना हेतु मानदंड छोटे निवेशकों को नई संस्थाओं को प्रारंभ करने से रोकते हैं. इसी प्रकार, विन्यास निधि की बड़ी राशि अप्रयुक्त रह जाती है. ऐसे उपबंध बहुधा शिक्षा उद्यमियों को बाधा पहुंचाते है, जो विश्वविद्यालय के प्रारंभ होने के पूर्व निधि की बड़ी राशि की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, यद्यपि उनकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की मजबूत तथा ठोस वित्तीय योजना हो. यह बहुधा उच्च गुणवत्ता संस्थाओं को उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश से रोकते हैं और प्रतियोगिता को सीमित करते हैं.

२. अतएव, निजी विश्वविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु मानदंड को सरल बनाने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए मानकों, जैसे भूमि और निर्मित क्षेत्र तथा विन्यास निधि को स्थापित करने की न्यूनतम अपेक्षाओं को हटाया जाना चाहिए. इसलिए, उक्त अधिनियम को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १६ जुलाई, २०२६.

इन्दर सिंह परमार
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, अधिनियम, २०२६ के खण्ड ४ द्वारा वार्षिक फीस विहित किये जाने के संबंध में विधायनी शक्तियो का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है, जो सामान्य स्वरूप का होगा.

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.